कार्यालय जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी, उन्नाव

विज्ञप्ति संख्या– ५३८ /जि0आ0अ0 / व्यवस्थापन / 2021–22 / उन्नाव   दिनांकः जुलाई 08, 2021

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कतिपय अनियमितताओं के कारण जनपद उन्नाव की निरस्त देशी शराब दुकान काली मिट्टी (वार्षिक एम0जी0क्यू0–30732 ब0ली0) के वर्ष 2021–22 की शेष अवधि के लिए स्थायी व्यवस्थापन हेतु ई–टेण्डर पोर्टल www.etender.up.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ई–टेण्डर आवेदन दिनांक 10.07.2021 को प्रातः–10:00 बजे से दिनांक 15.07.2021 को सायं 17:00 बजे तक ई–टेण्डर पोर्टल पर किये जा सकते हैं। ई–टेण्डर की फाइनेन्सियल बिड दिनांक 16.07.2021 को अपरान्ह 15:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार, उन्नाव में खोली जायेंगी। दुकान हेतु एम0जी0क्यू0, बेसिक लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि, प्रतिभूति एंव हैसियत की धनराशि से सम्बन्धित विस्तृत विवरण एवं ई–टेण्डर से सम्बन्धित अन्य जानकारी जनपद के पोर्टल www.unnao.nic.in पर देखी जा सकती है, उक्त के अतिरिक्त ई–टेण्डर से सम्बन्धित अन्य जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी उन्नाव एंव आबकारी निरीक्षकों से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

08/07/2021

(के0के0 शुक्ला)
जिला आबकारी अधिकारी,
जनपद–उन्नाव।

(रवीन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी,
जनपद–उन्नाव।

वर्ष 2021–22 हेतु जनपद उन्नाव की देशी शराब दुकान–काली मिट्टी का अनुज्ञापन निरस्त किए जाने के पश्चात् दुकान के स्थाई व्यवस्थापन हेतु दुकान का निर्धारित एम0जी0क्यू0, बे0ला0 फीस, प्रतिभूति धनराशि आदि का विवरण

क0स0	दुकान का नाम	शाप आइ0डी0	प्रास्थिति	क्षेत्र	वर्ष 2021–22 हेत निर्धारित कुल एम0जी0क्यू0 (12 के गुणांक	वर्ष 2021–22 हेतु देय बेसिक लाइसेंस फीस	वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि	वर्ष 2021–22 हेतु धरोहर धनराशि	निर्धारित वांछित हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	काली मिट्टी	26643	ग्रामीण	C-6	30732	1090986	694544	109099	1339403

18/6

जिला आबकारी अधिकारी,
जनपद–उन्नाव।

ई–टेण्डर हेतु सामान्य निर्देश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद उन्नाव की कतिपय अनियमितताओं के कारण निरस्त देशी शराब दुकान काली मिट्टी (वार्षिक एम0जी0क्यू0–30732 ब0ली0) के स्थायी व्यवस्थापन हेतु ई–टेण्डर पोर्टल www.etender.up.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. देशी मदिरा की दुकान हेतु सम्बन्धित दुकान के कुल न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित बेसिक लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत के बराबर की धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।
2. देशी मदिरा दुकान हेतु उच्चतम ई–टेण्डर स्वीकृत किया जायेगा। दो या दो से अधिक समान ई–टेण्डर प्राप्त होने पर जनपद स्तर पर ही मैनुअल लाटरी के माध्यम से ऐसे ई–टेण्डर में से एक को चुनकर व्यवस्थापन कराया जायेगा। स्वीकृत ई–टेण्डर से प्राप्त वार्षिक एम0जी0क्यू0 को 12 के अगले गुणांक में निर्धारित किया जायेगा एवं व्यपगत अवधि के एम0जी0क्यू0 को घटाकर वर्ष की अवशेष अवधि हेतु एम0जी0क्यू0 निर्धारित करते हुए तदनुसार बे0ला0फी0 जमा कराई जायेगी।
3. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू0 20,000/– प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में देय होगा। प्रोसेसिंग फीस की निर्धारित धनराशि ऑनलाईन जमा की जायेगी। निर्धारित आवश्यक प्रपत्र यथा–हैसियत प्रमाण पत्र अथवा आयकर वैल्यूवर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि प्रपत्र भी स्कैन करके ई–टेण्डर पोर्टल के टेक्निकल बिड सेक्शन में अपलोड करना आवेदक के लिये अनिवार्य होगा।
4. ऑनलाइन ई–टेण्डरिंग आवेदन हेतु कार्यक्रम निम्नवत् है :–

1	Tender publishing date	10.07.2021 at 10:00
2	Document download start date	10.07.2021 at 10:00
3	Document download end date	15.07.2021 at 17:00
4	Pre bid meeting date	14.07.2021 at 16:00
5	Bid submission start date	10.07.2021 at 12:00
6	Bid submission closing date	15.07.2021 at 17:00
7	Technical bid opening date	16.07.2021 at 11:00
8	Financial bid opening date	16.07.2021 at 15:00
9	The place of bid opening	Collectorate Meeting Hall
10	Tender inviting officer	Collector, Unnao.

5. आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा मदिरा दुकान हेतु उक्त वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/आफरदाता को DIGITAL SIGNATURE CIRTIFICATE (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, तभी वह देशी मदिरा दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा।
6. दुकान का टेण्डर अलग अलग अपलोड किया जायेगा । दुकान के साथ आन–लाइन निविदा सूचना भी अपलोड की जायेगी।
7. ऐसे सभी आवेदक/आफरदाता, जिन्हें जनपद उन्नाव में आबकारी नीति 2021–22 के अनुसार 02 दुकान पूर्व में आवंटित हो चुकी है, वह इस प्रक्रिया में अर्ह नहीं होगें। उल्लेखनीय है कि आवेदक को टेक्निकल बिड के प्रारूप–1 में पूर्व में आवंटित दुकानों का विवरण देना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त अन्य अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, उन्नाव व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

(के0के0 शुक्ला) 8/07/2021

जिला आबकारी अधिकारी,

जनपद–उन्नाव।